<u>विस्तृत विज्ञापन</u>
<u>(राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर में प्रकाशनार्थ)</u>

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्याः 4/परीक्षा/सहा. अभियन्ता/2012-13 **दिनांक- 07-03-2013**

सहायक अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिकी) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013
Assistant Engineer (Civil//Electrical/Mechanical) Exam, 2013

1. राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1991 के अन्तर्गत **सहायक अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिकी) के पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013** के लिए विभागों द्वारा सूचित पदों हेतु **ऑनलाइन आवेदन पत्र** (Online Application form) **आमंत्रित किए जाते हैं।** आवेदन में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
(शासन से रिक्त पदों का विस्तृत वर्गीकरण प्राप्त होने पर यथा समय जारी कर दिया जाएगा। आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।)
2. <u>परीक्षा में बैठने के अवसर</u> :- नियमानुसार परीक्षा में बैठने के लिए **तीन अवसर** देय। राजस्थान के अनु. जाति/अनु. जनजाति के आवेदकों के लिए अवसरों का प्रतिबन्ध नहीं है। ऑनलाइन आवेदन के समय निर्धारित स्थान पर पूर्व अवसर का उल्लेख अवश्य करें। यदि पूर्व में इस परीक्षा में नहीं बैठे हैं, तो संबंधित कालम में '0' अंकित करें। गलत सूचना पर अपात्र किया जायेगा।
3. <u>परीक्षा शुल्कः-</u>
(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु - **रुपये 350/-**
(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु- **रुपये 250/-**
(ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु- **रुपये 150/-**

<u>नोटः-</u>(1) ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन-पत्र का प्रारूप आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड कर लें और उसे ऑनलाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। यह प्रारूप ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध होगा।
(2) आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गईं हैं।
(3) आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ***ई-मित्र कियोस्क*** *तथा* ***जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)*** की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी जहाँ ***ई-मित्र कियोस्क*** *तथा* ***जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)*** नहीं हैं वे आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध सूची से उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। उनकी सुविधा के लिए उनके दूरभाष नम्बर भी उपलब्ध हैं।
(4) राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।

4. <u>आवेदन प्रक्रिया</u> :-
(क) आवेदन आयोग की वेबसाइट **rpsconline.rajasthan.gov.in** के माध्यम से व केवल निर्धारित **Online Application Form** में लिये जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेब-साइट पर उपलब्ध है। आवेदन **स्वयं** या **राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** के माध्यम से भरा जा सकता है।
(ख) परीक्षा शुल्क **ई-मित्र या जन सुविधा केन्द्र** के माध्यम से जमा कराने हेतु **रुपये 10/-** राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। वहीं से आवेदन-पत्र भरने पर **रुपये 30/- का अतिरिक्त** सेवा शुल्क देय होगा।
(ग) परीक्षा शुल्क **नेट बैंकिंग** के माध्यम से जमा कराने हेतु आवेदक को **rpsconline. rajasthan. gov.in** पर उपलब्ध **नेट बैंकिंग विकल्प** का चयन कर आवेदन फार्म भरने के बाद पोर्टल पर उपलब्ध **SBI** नेट बैंकिंग सुविधा से परीक्षा शुल्क भर कर आवेदन प्रपत्र को ऑनलाईन submit करना होगा।
(घ) परीक्षा शुल्क का **ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड** के माध्यम से जमा कराने हेतु **ई-मित्र पोर्टल emitra.gov.in** पर आवश्यक कॉलम की पूर्ति करने के उपरान्त वहां से प्राप्त टोकन नम्बर को उसी प्रकार से आयोग के ऑनलाइन फार्म में भरें।
<u>नोट</u> :- अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। अभ्यर्थी आवेदन प्रपत्र के preview को आवेदन submit न मानें।

5. <u>प्रवेश-पत्रः</u> - आयोग द्वारा समस्त ऑनलाइन आवेदनों में वेब-साइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश-पत्र जारी किए जाएंगे और आयोग द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जाएगा। वेब-साइट पर प्रवेश-पत्र जारी किए जाने की सूचना परीक्षा की तिथि तय होने के उपरान्त समाचार पत्रों एवं वेब-साइट के माध्यम से शीघ्र जारी की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र वेब-साइट से प्राप्त करने हेतु **आवेदन-पत्र क्रमांक** एवं जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) पर फीस जमा कराने का **टोकन नम्बर** ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के **ई-मेल आई.डी. (e-mail ID)** एवं मोबाइल नंबर पर भी भेजी जा सकती है।
6. <u>रिक्त पदों का विवरण</u> :-

क्र. सं.	विभाग का नाम	पद विवरण		
		सहायक अभियन्ता-विद्युत	सहायक अभियन्ता -सिविल	सहायक अभियन्ता-यांत्रिकी
1	सार्वजनिक निर्माण विभाग	14	-	-
2	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	-	109	50
3	जल संसाधन विभाग	-	142	4
4	पंचायती राज विभाग	-	5	-
	योग	**14**	**256**	**54**

<u>नोट</u> :-आवेदक विज्ञापित एक विषय प्रकार के पदों के लिए एक ही आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें, किन्तु अलग-अलग विषय प्रकार के पदों (सिविल/विद्युत/यांत्रिकी) के लिए अलग-अलग आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें। किसी पद के दो या अनेक विभागों में होने पर अभ्यर्थी विभागों का प्राथमिकता क्रम अवश्य भरें। आवेदनोपरांत पदों की प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन हेतु कोई प्रार्थना-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

<u>विशेष नोटः-</u> शासन से रिक्त पदों का वर्गीकरण प्राप्त होने पर शुद्धि-पत्र यथा समय जारी कर दिया जाएगा।

<u>नोटः–</u>

(1) <u>इस परीक्षा के सेवा नियम के अनुसार प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम घोषणा से पूर्व पदों का श्रेणीवार आरक्षित रिक्त पदों की नवीनतम संख्या यथा–अनारक्षित पद (सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/विशेष योग्यजन/महिला/विधवा/परित्यक्ता की महिला के आरक्षण की नवीनतम सूचना शासन से प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ शुद्धि पत्र जारी कर भर्ती की कार्यवाही की जाएगी</u>।

(3) कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी। परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप–नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा।

(4) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपब्लब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।

(5) महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (Category wise) महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30% होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। <u>**स्पष्टीकरण**</u>ः–किसी वर्ग (अनारक्षित पद (सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नॉन–क्रीमीलेयर का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। <u>**पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा**</u>**।**

(6) महिला हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत पद परित्यक्ता (विच्छिन्न विवाह महिला) के लिए आरक्षित होगा। किसी वर्ग (अनारक्षित पद (सामान्य वर्ग)/राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा एवं परित्यक्ता (विच्छिन्न विवाह महिला) महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

(7) कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 12.09.2012 के अनुसार सामान्य पदों के विरूद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र होगें जिन्होंने आयु एवं शुल्क की रियायतों के अतिरिक्त किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।

(8) राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा।

(9) <u>**विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए**</u> :–

(अ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार उपरोक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता हैः–

<u>Locomotor Disability & cerebral palsy (L.D. & C.P.):</u>
O.L.- One leg affected (right or left)
impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic

(ब) विशेष योग्यजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (अनारक्षित वर्ग (सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

(स) उपरोक्त दर्शाए गए विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार भरा जाएगा। विशेष योग्यजन के उक्त नियम के अनुसार उपरोक्त विशेष योग्यजन की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो वहाँ ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जाएगा।

(द) विशेष योग्यजन आवेदक On line Application Form में यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

(य) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियमानुसार सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। विशेष योग्यजन हेतु चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण–पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक को निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

(10) विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जाती है तो आयोग द्वारा नियमानुसार उन पदों में कमी या बढ़ोतरी करते हुए भर्ती की कार्यवाही की जा सकती है।

7. <u>शैक्षणिक योग्यता</u> :–

(1) भारत में विधि द्वारा संस्थापित विश्वविद्यालय से बी.ई. (सिविल/विद्युत/यांत्रिकी) या सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित योग्यता।

परन्तु यह कि पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमो या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के पात्र होगा किन्तु उसे मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा । <u>**स्पष्टीकरण**</u>ः–यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक स्नातक (बी.ई.–सिविल/विद्युत/यांत्रिकी) परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे, एवं स्नातक उपाधि (बी.ई.–सिविल/विद्युत/यांत्रिकी) परीक्षा के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले है ।

(2) सहायक अभियंता (सिविल) पंचायती राज विभाग के पदों के लिए–''देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी अनिवार्य योग्यता है।''

<u>नोट</u> :– **सिविल/विद्युत/यांत्रिकी ब्रांच के पदों के लिए संबंधित ब्रांच में उपाधि होनी चाहिए।**

8. परीक्षा में बैठने के अवसर :– नियमानुसार परीक्षा में बैठने के लिए **तीन अवसर** देय। राजस्थान के अनु. जाति/अनु. जनजाति के आवेदकों के लिए अवसरों का प्रतिबन्ध नहीं है। ऑनलाइन आवेदन के समय निर्धारित स्थान पर पूर्व अवसर का उल्लेख अवश्य करें। यदि पूर्व में इस परीक्षा में नहीं बैठे हैं, तो **संबंधित कालम में '0' अंकित** करें। गलत सूचना पर अपात्र किया जायेगा।

9. आयु :– आवेदक 01.01.2014 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 37 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु यह कि :–

1. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार :–
   ''यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।''
   स्पष्टीकरण : आयोग द्वारा वर्ष 2008 में इन पदों को विज्ञापित किये जाकर उनकी आयु सीमा की गणना 01.01.2009 को की गई थी तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2014 को अधिकायु के होते है, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।
2. ऊपर उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा में :–
   (क) जिन पदों में राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग / राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग के सामान्य पद आरक्षित हैं उन विषयों हेतु राजस्थान की अनुसूचित जाति/ राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आयु में 5 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु जिन विषयों में राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग के सामान्य पद आरक्षित नहीं हैं उन विषयों हेतु राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/ राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी।
   (ख) जिन पदों में अनारक्षित वर्ग (सामान्य वर्ग) की महिला अभ्यर्थियों के पद आरक्षित हैं उन्हीं विषयों की सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट देय है परन्तु जिन विषयों में अनारक्षित पद (सामान्य वर्ग) की महिला अभ्यर्थियों के पद आरक्षित नहीं है उन्हें आयु सीमा में इस छूट का लाभ देय नहीं होगा।
   (ग) जिन पदों में राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के पद आरक्षित हैं उन्हें 10 वर्ष की छूट देय होगी और जिन विषयों में राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये पद आरक्षित नहीं है परन्तु इन वर्गों के सामान्य पद आरक्षित हैं तो उन विषयों हेतु उन वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को केवल 5 वर्ष की छूट देय होगी।
   (घ) जिन पदों में राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/ राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग के सामान्य पद एवं महिला के पद आरक्षित नहीं हैं उन विषयों हेतु महिला अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का लाभ देय नहीं होगा।
3. उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था।
4. उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी।
5. एन.सी.सी के कैडिट प्रशिक्षकों के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।
6. रिजर्विस्टों अर्थात रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी ।
7. निर्मुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात आयु सीमा में ही समझा जायेगा चाहे उन्होने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे ।
8. राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी ।
9. उपरोक्त परन्तुकों में अन्तर्विष्ट छूटे और हिदायतें उस अभ्यर्थी को अनुज्ञात नहीं होगी जिसमें आवेदन पत्र प्राप्ति हेतु नियत की गई अन्तिम तारीख से ठीक आगामी जनवरी माह के प्रथम दिन को 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।
10. पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापो के सम्बन्ध में सेवारत व्यक्तियों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी ।
11. जिन पदों में विधवाओं और परित्यक्ता (विछिन्न–विवाह) महिलाओं के पद आरक्षित हैं उन मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी ।
    स्पष्टीकरण–विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और परित्यक्ता (विछिन्न–विवाह) महिला के मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
12. राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अधीन विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को सुसंगत सेवा नियमों के अधीन पहले से विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय होगी :–
    1. अनारक्षित वर्ग (सामान्य वर्ग) के अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष
    2. पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 13 वर्ष
    3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 15 वर्ष

    नोट:–उपरोक्त आयु के पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 12 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त पैरा 2 से 12 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

10. वेतनमान :– रनिंग पे–बेण्ड (रुपये 15600–39100) ग्रेड–पे संख्या–15 (रुपये 5400/–)

ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किए जा रहे पद का कर्तव्य भार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, सम्बन्धित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलता पूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही अनुज्ञात किया जाएगा। **प्रारम्भिक वेतन वृद्धि/उच्च वेतन** : नहीं।

11. पेंशन:– नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिएदिनांक 1–1–2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

12. **<u>अन्तिम दिनांक</u> :– आवेदन करने की <u>अन्तिम दिनांकः 31-03-2013</u> को रात्रि 12–00 बजे तक (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।)** आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।

13. **<u>परीक्षा का स्थान</u> :– प्रारम्भिक परीक्षा राजस्थान राज्य के अजमेर (कोड नम्बर–01) व जयपुर (कोड नम्बर–02) जिलों में आयोजित कराई जाएगी।** <u>आवेदक उपरोक्त में से जिस जिले से परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है उस जिले का कोड नम्बर चुन कर निर्धारित कॉलम में पूर्ति करें</u>। इन पदों की परीक्षा की तिथि आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् यथाशीघ्र रखी जाएगी। **प्रारम्भिक परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों का आवंटन आवेदक द्वारा चुने गए जिला परीक्षा केन्द्र एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा। अतः आयोग द्वारा स्वविवेक से प्रारम्भिक परीक्षा हेतु अभ्यर्थी द्वारा चुने गए जिला परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन किया जा सकता है। <u>आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा अजमेर में आयोजित किए जाने की सम्भावना है।</u>**

14. **<u>अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में</u>** :– सभी आवेदक, चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, को अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा आयोग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किए जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिए जाने हेतु सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

15. **<u>नियुक्ति के लिए अयोग्यता</u>** :–

1 किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

2 किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को, जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

3 किसी भी विवाहित पुरुष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।
स्पष्टीकरणः– इस नियम के प्रयोजन हेतु ''दहेज'' से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध एक्ट, 1961 में है (सैन्ट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961)।

4 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1–6–2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जाएगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती :

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जाएगा।

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

5 शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22–5–2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।

6 आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में विवर्जित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके विवर्जित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

16. **<u>आवेदन कैसे करें</u> :–**

अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

<u>नोट</u> – राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन–क्रीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

17. **<u>कृपया ध्यान दें</u> :–**

(1) आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व आयोग के विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के निर्देशों के साथ–साथ इस परीक्षा के सेवा नियम ''राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1991'' का अध्ययन कर लें। नियमानुसार अपात्र पाए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है ।

(2) **आवेदक श्रेणीवार तय किए गए परीक्षा शुल्क के अनुसार अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराकर ही आवेदन करें। मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के उपरान्त साक्षात्कार हेतु अस्थाई रूप से आमंत्रित अभ्यर्थियों से साक्षात्कार के समय विस्तृत आवेदन–पत्र भरवाए जाएंगे।**

(3) यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन–पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

(4) आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में विवर्जित (Debar) किए गए ऐसे आवेदक जिनके विवर्जित (Debar) होने की अवधि आवेदन–पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

(5) आयोग कार्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन–पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाइन आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाइन आवेदन–पत्र में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाएगा।

(6) ऑनलाइन आवेदन–पत्र निर्धारित अन्तिम दिनांक तक प्राप्त होने पर ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदक आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही–सही एवं पूर्ण भरी गईं हैं। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में आयोग द्वारा आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाइन आवेदन–पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

(7) आवेदक जिनके ऑनलाइन आवेदन–पत्र अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा में केवल मात्र उसे प्रवेश–पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन–पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। आयोग द्वारा उम्मीदवार

की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/विशेष योग्यजन एवं भूतपूर्व सैनिक, अन्य शर्तें आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।

18. **अनुचित साधनों की रोकथाम**:—परीक्षार्थियों को आयोग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिए गए निर्देशों को अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझें कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम)अधिनियम,1992 के अन्तर्गत एवं आयोग द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/ using or attempting to use unfairmeans during the course of examination" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती हैं। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाईट पर दी गई है।

19. **श्रुत लेखक की सुविधा**:— सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न—उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ हैं, उन्हें आयोग कार्यालय को परीक्षा दिनांक से 15 दिन पूर्व तक प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण—पत्र सहित प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा श्रुत लेखक की सुविधा देय होगी परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी।

20. **प्रमाण—पत्रों का सत्यापन** :—आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/विशेष योग्यजन) का लाभ निम्न स्थिति में ही देय होगा जिसके प्रमाण में आवेदक को प्रमाण—पत्र विस्तृत आवेदन—पत्र के साथ (जो कि मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के उपरान्त साक्षात्कार हेतु अस्थाई रूप से बुलाए जाने वाले आवेदकों से यथासमय भरवाए जाएंगे) भेजना आवश्यक है। अतः यह सुनिश्चित कर लें कि :—

(अ) जाति प्रमाण—पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है।

(ब) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के प्रमाण—पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही—सही एवं पूर्ण भरी गई हैं।

(स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष योग्यजन का प्रमाण—पत्र **On line Application Form** प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण—पत्रों के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना—पत्र पर विचार किया जाएगा।

(द) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को **On line Application Form** प्रस्तुत (Submit) करते समय पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा **On line Application Form** प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक के पश्चात् वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना—पत्र पर विचार किया जाएगा।

(य) राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को **On line Application Form** पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करना होगा।

(र) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण—पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण—पत्र विस्तृत आवेदन—पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसे आवेदन—पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।

(ल) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण—पत्र विस्तृत आवेदन—पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण—पत्र मान्य नहीं है।

(व) विशेष योग्यजन का चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र जिसमें विशेष योग्यजन की चिह्नित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो जो कि **On line Application Form** की प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक का जारी किया हुआ होना चाहिए।

21. **परीक्षा योजना** :—

योजना के अनुसार यह परीक्षा दो चरणों में ली जाएगी। प्रथम चरण में प्रारम्भिक परीक्षा तथा द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा होगी। प्रारम्भिक परीक्षा में वस्तुपरक दो प्रश्न पत्र, एक अनिवार्य विषय तथा एक चुना हुआ ऐच्छिक विषय होंगे। प्रारम्भिक परीक्षा का प्रत्येक प्रश्न—पत्र 200 अंक का होगा और अवधि दो घण्टे होगी।

प्रारम्भिक परीक्षा केवल संवीक्षा/क्वालीफाइंग परीक्षा के रूप में होगी। प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को अंतिम योग्यता क्रम निर्धारित करने के लिए नहीं जोड़ा जाएगा।

मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विभिन्न पदों के लिए भरी जाने वाली रिक्तियों (प्रवर्गानुसार) की कुल संख्या की 15 गुना होगी किन्तु उक्त रेंज में उन सभी अभ्यर्थियों को जो उतने प्रतिशत अंक प्राप्त करते हों, जितने कि आयोग द्वारा किसी निम्नतर रेंज के लिए नियत किए जाएं, मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। प्रश्न पत्रों का स्तर स्नातक डिग्री के स्तर के होगें इसके अलावा हिन्दी का प्रश्न पत्र सीनियर सैकण्डरी के स्तर का होगा; **और**

समस्त प्रश्न पत्रों के उत्तर, जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित न हो, या तो हिन्दी में या अंग्रेजी में दिए जाएंगे, किन्तु किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न पत्र का उत्तर अंशतः हिन्दी में और अंशतः अंग्रेजी में देने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसा करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात नहीं किया गया हो।

Scheme of Examination

For the State Engineering Services (Assistant Engineer) Combined Competitive Examination

1. Scheme of Examination: - The Competitive Examination will be held in two successive stages:-

(i) Preliminary Examination (ii) Main Examination

(i) Preliminary Examination : the preliminary Examination will consist of two papers, i.e. one compulsory paper and one optional paper, which will be of objective type and carry a maximum of 400 marks in the subjects mentioned in Section 'A and B'. The Examination is meant to serve as a screening test only. The marks obtained in the Preliminary Examination by the candidates who are declared qualified for admission to the Main examination will not be counted for determining their final order of merit. The number of candidates to be admitted to the main Examination will be 15 times the total approximate number of vacancies (category wise) to be filled in the year in the various Services and Posts, but in the said range all those candidates who secure the same percentage of marks as may be fixed by the Commission for any lower range will be admitted to the Main Examination.

SECTION – "A"

COMPULSORY PAPER	**MAX MARKS**	**TIME**
General knowledge & General Science including General knowledge of Rajasthan its Geography, Economy and culture	200	2 hours

SECTION – "B"

List of Optional papers :- (any one paper to be opted by a candidate).

	Max. Marks	**Time**
Civil Engineering	200	2 hours
Electrical Engineering	200	2 hours
Mechanical Engineering	200	2 hours

(ii) Main examination: - The written examination will consist of the following papers which will be conventional type. A candidate must take all the compulsory subjects and any one of the optional subjects listed below. Each of the optional subject will have two papers. The time allowed for each paper shall be three hours.

	Compulsory Subject	**Maximum Marks**
Paper – I	Hindi	100
Paper – II	Social aspects of Engineering	100

	Optional Subjects	**Maximum Marks**
Paper – III and Paper – IV	(Any one subject to be opted by a candidate from the following list of optional subjects. Each subject will have two papers)	200 marks for each paper

List of optional subjects:-

1. Civil Engineering
2. Electrical Engineering
3. Mechanical Engineering

2. **PERSONALITY AND VIVA-VOCE EXAMINATION**:-

(i) Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test of the Main examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for interview. Provided that no candidate who fails to obtain a minimum of 35% marks in each of the two compulsory papers and a minimum of 40% marks in the aggregate shall be called by the Commission for interview which carries 72 marks.

(ii) The Commission shall award marks to each candidates interviewed by them. In interviewing the candidates besides awarding marks in respect of character, personality, address and physique, marks shall also be awarded for the candidate's knowledge of Rajasthani culture. The marks so awarded shall be added to the marks obtained in the written test of the main examination by each such candidate.

(iii) The standard of the papers will be that of a Bachelor's Degree level except paper on Hindi which will be of Senior Secondary Level.

(iv) All papers unless specifically required shall be answered either in Hindi or in English, but no candidate shall be permitted to answer any one paper partly in Hindi and partly in English unless specifically allowed to do so.

(v) If a candidate's hand-writing is not easily legible, a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.

(vi) Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.

(vii) It is obligatory for a candidate to appear in all the compulsory papers and in optional papers.

Note - 1 : The Commission shall not recommend any candidate for the State Engineering Services, who has failed to obtain a minimum of 50% marks in the aggregate.

Note - 2 :The Commission shall, in case of Woman Candidates, candidates belonging to the Backward Classes, Special Backward Classes, Economically Backward Classes, Scheduled Castes, or the Scheduled Tribes recommend the names of such candidates upto the number of vacancies reserved for them from amongst those who have qualified for interview, even if they fail to obtain the aggregate marks prescribed under Note – 1.

विशेष :– (1) इन पदों का पाठ्यक्रम आयोग द्वारा वेब–साइट पर शीघ्र जारी कर दिया जायेगा।
(2) आयोग द्वारा परीक्षा का पाठ्यक्रम अन्य सामग्री विक्रय किए जाने हेतु किसी भी प्रकाशक को अधिकृत नहीं किया गया है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी प्रकाशक द्वारा मुद्रित पाठ्यक्रम अथवा अन्य सामग्री खरीदता है तो यह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी ।

विशेष टिप्पणी :–

(1) परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात 72 घण्टे में (तीन दिवस) के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/शिकायत व्यक्तिशः/स्पीड पोस्ट के माध्यम से सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रस्तुत कर दें। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जाएगी। तीन दिवस के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।

(2) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आएं। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक जैसे पेन, पेन्सिल, प्रवेश–पत्र या आयोग द्वारा निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान लोक सेवा आयोग किसी की भी नहीं होगी।

(3) जिस परिसर के भीतर भर्ती परीक्षण आयोजित किया जा रहा है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित उम्मीदवार के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

(4) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे भर्ती परीक्षण स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित प्रतिबंधित वस्तुएं साथ नहीं लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

आयोग की वेबसाइट :– उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.rajasthan.gov.in** या **rpsconline.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–5151212, 5151200 एवं 5151240** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(डॉ. के.के. पाठक)
सचिव